शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–दतिया

निग / 3996–II–15

1– द्वारका प्रसाद पुत्र राधाचरण सोनी
2– लखनलाल पुत्र श्री राधाचरण सोनी
3– हीरा लाल पुत्र श्री राधाचरण सोनी
4– रामबिहारी पुत्र श्री राधाचरण सोनी
5– राजीव कुमार पुत्र श्री राधाचरण सोनी
निवासीगण–बिहारी जी का मार्ग दरोगा वाली गली दतिया आनंद टॉकीज के पास, दतिया म0प्र0
6– दीपक राज पुत्र श्री विश्वनाथ
7– हर्षराज श्री विश्वनाथ
8– नवीन कुमार पुत्र श्री पुरूषोतम दास
9– प्रवीण कुमार पुत्र री पुरूषोतम दास
निवासी–राजगढ़ फाटक दतिया म0प्र0

-- आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर,
जिला दतिया म0प्र0 -- अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर, दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3996/II/2015 जिला– दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-1-16	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/बी–121/2014–15 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गयी हैं। 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं आवेदकगण की ओर प्रस्तुत की गयी, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि पृथक–पृथक विक्रयपत्रों के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त विक्रयपत्रों की वैधानिकता की जॉच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। क्योंकि न्यायदृष्टांत 2011 आर.एन. 193 एवं 2006 आर.एन. 330 में न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख राजस्व न्यायालय इसकी विधि मान्यता की जॉच नहीं कर सकते। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में लिया है, जबकि अभिलेख से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में विक्रयपत्र 40–45 वर्ष पूर्व किये गये हैं और भूमि आवेदकों के नाम पर दर्ज चली आ रही है। उक्त प्रविष्टी को निरस्त कर भूमि मध्य प्रदेश शासन	

अंकित करने में अपर कलेक्टर न्यायालय ने त्रुटि की है। यदि तर्क के लिए यह मान्य भी लिया जाये कि आवेदकों के नाम पर राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा शासकीय भूमि पर फर्जी तरीके से भू–स्वामियों के नाम दर्ज किये है। वह त्रुटिपूर्ण हैं। तब भी 40–45 वर्ष पश्चात् निरस्त करना न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है। क्योंकि न्यायदृष्टांत 1998(1) म.प्र. वीकली नोटस् 26 मौहम्मद कवि बनाम फंतमाबाई इब्राहिम में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:–

"परिसीमा–स्वप्रेरणा से जॉच की शक्ति–कानून के अधीन परिसीमा की अवधि उपबंधित नहीं। युक्तियुक्त समय के भीतर प्रारम्भ की जानी चाहिए– प्रयोजन के लिए एक वर्ष अयुक्तियुक्त हो सकता है"।

"भू–राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा 50–स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति–युक्तियुक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जा सकती है– मात्र एक वर्ष भी अयुक्तियुक्त हो सकता है"।

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. की पूर्ण पीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए आई.एल.आर.(2011) एम.पी.–1 रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरीसिंह एवं अन्य तथा म.प्र. शासन में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:– "भू–राजस्व संहिता म.प्र.(1959 का 20) धारा–50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग उसें अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गयी, कार्यवाही की अवैधता अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है, भले ही अचल सम्पत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो।

अभिलेख से यह भी प्रमाणित है कि मौहम्मद सफात द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/अ–2/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2013 से भूमि का व्यपवर्तन किया गया है तथा तहसीलदार दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ–9/02–03 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2003 से भूमि तरमीम की गयी है। पूर्व में कलेक्टर, जिला .दतिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2015 से नक्शा सुधार का आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में भी कलेक्टर, जिला दतिया के आदेश को अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव पुनरीक्षण में निरस्त किया जाना त्रुटिपूर्ण हैं। इसी प्रकार राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 1022/पी.बी.आर./04 में दिये गये निर्देश के अनुसार कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा विधिवत जॉच कर नक्शा सुधार एवं तरमीम का आदेश दिनांक 03.11.2008 को दिया गया था, ऐसी स्थिति में भी अपर कलेक्टर न्यायालय को उक्त आदेश पर विचार करने की अधिकारिता नहीं थी। अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा अपने पूर्व के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानकर पुर्नविलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को प्रेषित किया गया है। किन्तु पुर्नविलोकन की अनुमति के संबंध में आदेश प्राप्त किये बिना ही स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर जो आदेश पारित दिनांक 06.11.2015 को पारित किया है, वह नितान्त त्रुटिपूर्ण है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में तथा प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि आवेदकगण के हित में निष्पादित विक्रय पत्रों की वेधानिकता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं थी क्योंकि विक्रय निष्पादित दिनांक

से आवेदकगणों द्वारा क्रय की गई भूमि पर आज दिनांक तक कब्जा चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है, वह न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार दतिया को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदकों का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में पूर्ववत अंकित किया जाये। यह आदेश आवेदक क्रमांक 1 लगायत 9 पर लागू होगा।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य